29/9/23

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली रिमाण्ड करने बाबत् पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.09.2023 को सुना गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता)ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वाद को दर्ज कर वाद पत्र के नोटिस प्रतिवादी/अपीलांट को जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण/अपीलांट के नोटिस प्रोपर तामील करवाये बगैर एवं साक्ष्य सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर ही निर्णय दिनांक 30.06.2023 को वादी का वाद स्वीकार किया गया है। इस प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण पारित निर्णय व डिक्री न्याय के सहज एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्तनीय है। मान्नीय न्यायालय यदि रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

सर्वप्रथम अपील के अंदर मियाद होने बाबत अवलोकन किया गया। अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2023 से अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 30.8.2023 को पेश कर दी गई थी अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महेशचंद पाण्डे अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.9.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के निर्णय को रिमाण्ड करने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है मगर अपीलांट को भी पाबंद किया जाए की वह वहां शीघ्र सुनवाई में सहयोग करें। चूंकि रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा स्वयं प्रकरण को रिमाण्ड करने पर सहमति जताई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भी इसी अनुरूप प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझता है। वकील अपीलांट को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वकील रेस्पोडेट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। वकील रेस्पोडेट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को निम्न निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है।

1. तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करेगा।
2. संबंधित पक्षकार अपीलांट व रेस्पोडेट आवश्यक रूप से दिनांक 20.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होंगे। उभयपक्ष उपस्थित होकर सुनवाई में सहयोग प्रदान करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाएंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

29.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर